बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। अधिसूचना ।।

विषयः— नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना सं0—859 दिनांक—26.03.2025 द्वारा अधिगृहित दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 दिनांक—17.09.2024 के प्रावधानों के आलोक में सरकारी सम्पत्तियों के उपयोग की अनुमति हेतु विभिन्न विभागों/स्थानीय प्राधिकार को नामित करने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य में दूरसंचार क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्दिष्ट समय—सीमा के भीतर ऑप्टिकल फाईबर केबल्स (ओ0एफ0सी0), इन—बिल्डिंग सोल्यूशन (आई0बी0एस0) और अन्य दूरसंचार अवसंरचनाओं को बिछाने, मोबाइल टॉवर का अधिष्ठापन के लिए आवेदन और अनुमति देने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स को एक निश्चित समय सीमा के अन्दर अनुमति प्रदान करने, राज्य के दूरस्थ, पहाड़ी प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के विकास को प्रोत्साहित करने, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए आधुनिक दूरसंचार बुनियादी ढांचे की स्थापना एवं अच्छी गुणवत्ता के इंटरनेट को सुनिश्चित करने एवं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टेरेस्ट्रियल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में सुधार के निमित बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127 (1) एवं 419 (1) के प्रावधानों तथा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 के अन्तर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा **"बिहार मोबाइल टॉवर, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स (OFC) और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली, 2020"** सम्बंधी अधिसूचना संख्या 2897 दिनांक—19.08.2020 निर्गत किया गया।

2. ज्ञातव्य हो कि टेलिकॉम इन्फ्रॉस्ट्रक्चर स्थापित किये जाने के संबंध में दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 और भारतीय तार (अवसंरचना सुरक्षा) नियम, 2022 को अवक्रमित करते हुए दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 दिनांक 17.09.2024 को अधिसूचित किया गया है, जो दिनांक–01.01.2025 के प्रभाव से प्रवृत्त है।

3. भारत सरकार के उक्त नियमावली को दृष्टिपथ रखते हुए राज्य में प्रचलित अधिसूचना संख्या 2897 दिनांक 19.08.2020 (बिहार मोबाइल टॉवर, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स (OFC) और संबंधित दूरसंचार अवसरंचना नियमावली, 2020) को दिनांक–01.01.2025 से अवक्रमित करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0–859 दिनांक–26.03.2025 (**अनुलग्नक–1**) द्वारा भारत सरकार की अधिसूचित दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 (**अनुलग्नक–2**) को दिनांक–01.01.2025 के प्रभाव से बिहार राज्य में प्रवृत्त किया गया है :–

उक्त के आलोक में सरकारी सम्पतियों के उपयोग की अनुमति हेतु विभिन्न क्षेत्र, विभागों के स्थानीय प्राधिकार/नोडल पदाधिकारी नामित होंगे, जो निम्नलिखित हैं :–

क्षेत्र	**विभाग**	**स्थानीय प्राधिकार/नोडल पदाधिकारी**
नगर निगम	नगर विकास एवं आवास विभाग	नगर आयुक्त
नगर परिषद्	नगर विकास एवं आवास विभाग	कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत	नगर विकास एवं आवास विभाग	कार्यपालक पदाधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र	ग्रामीण विकास विभाग	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
सरकारी भवन	संबधित विभाग	संबंधित भवन के विभागीय प्रधान
वन भूमि	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	वन प्रमण्डल पदाधिकारी
पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत सड़क	पथ निर्माण विभाग	कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत सड़क	ग्रामीण कार्य विभाग	कार्यपालक अभियंता

विद्युत यूटिलिटी पोल	एन०बी०पी०डी०सी०एल० एस०बी०पी०डी०सी०एल०	कार्यपालक अभियंता
जल संसाधन विभाग की सिंचाई परिसम्पतियाँ	जल संसाधन विभाग	कार्यपालक अभियंता
लघु जल संसाधन विभाग की सिंचाई परिसम्पतियाँ	लघु जल संसाधन विभाग	कार्यपालक अभियंता

4. प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुमोदन के उपरान्त उपरोक्त कंडिका–03 में आवश्यकतानुसार किसी विभाग/स्थानीय प्राधिकार को सम्मिलित एवं हटाया जा सकेगा।

5. दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 में यदि कोई बदलाव/सुधार किया जाता है, तो यह राज्य में भी लागू होगा।

6. अतः उक्त के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना सं0–859 दिनांक–26.03.2025 द्वारा अधिगृहित दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 दिनांक–17.09.2024 के प्रावधानों के आलोक में सरकारी सम्पत्तियों के उपयोग की अनुमति हेतु विभिन्न विभागों/स्थानीय प्राधिकार को नामित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

7. उपर्युक्त कंडिका–06 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 24.06.2025 की बैठक में मद सं0–12 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ भेजी जाय।

ज्ञापांक–03/दूरसंचार–16–04/2025 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। इनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु इसकी 500 प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

ह0/–

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–03 / दूरसंचार–16–04 / 2025 / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–03 / दूरसंचार–16–04 / 2025 / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, बुडको / नगर आयुक्त, सभी नगर निगम / महाप्रबंधक, BSNL / राज्य सूचना पदाधिकारी, NIC / कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं पंचायत / सभी मुख्य अभियंता, सभी अधीक्षण अभियंता एवं सभी कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–03 / दूरसंचार–16–04 / 2025 / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– सचिव, संचार मंत्रालय, (दूरसंचार विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली / सचिव सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–03 / दूरसंचार–16–04 / 2025 / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव / विभागीय सचिव के आप्त सचिव / विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई० मेल करने हेतु प्रेषित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–03 / दूरसंचार–16–04 / 2025 7710 / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक–11/07/25

प्रतिलिपिः– निबंधन पटना उच्च न्यायालय, पटना / महाधिवक्ता, बिहार / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/7/25

सरकार के सचिव।